संख्या-139/2021/3413/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमर सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 दिसम्बर 2021

विषयः- **रिट याचिका संख्या-12648/2021 सुशील कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व 04 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-06-2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2049-50/स0क0/शिक्षा-अ/4/1512/2021-22, दिनांक-30.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या-12648/2021 सुशील कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व 04 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-06-2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में 05 याची छात्रों की वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता की धनराशि रू0 45690/- के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 से प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-12648/2021 सुशील कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व 04 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-06-2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में 05 याची छात्रों (सुशील कुमार, कु0 पूजा गौतम, कु0 मीनाक्षी वर्मा, कु0 निगम एवं कु0 नीलम रानी) की वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता की **धनराशि रू0 45690/- (रूपये-पैतालीस हजार छः सौ नब्बे मात्र)** के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

पृ.संख्या-139/2021/3413 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in